

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य पुदेश गवालियर ₹५०प०

पु०क०/आर०-
निगरानी ८५५-११-१५

श्री आर० एस० बोट-डॉस्ट०
कार० दिनांक २३-०४-१५ को
पुक०
कार० दिनांक २३-०४-१५ को
पुक०



मंगल पुसाद मिश्र आत्मज स्व० मटुक्थारी राम ब्रा० निवासी ग्राम सूहा
थाना शाहपुर तहसील हनुमनाजिला रीवा ₹५०प० --- निगराकार
बनाम

- १- श्रीग्या पुसाद मिश्र आत्मज स्व० मटुक्थारी राम ब्रा० ।
२- श्री नवल किशोरमिश्र आत्मज स्व० मटुक्थारी राम ब्रा० । - दोनों
का पेसा कृषि एवं नियंग्राम सूहा थाना शाहपुर तहसील हनुमना
जिला रीवा ₹५०प० --- --- --- --- --- गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प००भ०-रा०सं०

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी
तहसीलहनुमना जिला रीवा ₹५०प० के
अपील पु०क०/१७३/२७/१२-१३ में पारित
आदेश दिनांक १६-०४-०१५ के बिल्द्व निग-
रानी याचिका ।

पुकरण के संक्षिप्त तथ्य :--

१ अ०- यह कि निगराकार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय श्री मान् -
नायव तहसीलदार वृत्त पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा ₹५०प० के
समक्ष बटवारा आवेदन पत्र पेश किया गया जिसमें सम्मन प्राप्तहोने पर
गैर निगराकार श्रीग्या पुसाद मिश्र एवं श्री नवल किशोर मिश्र जीरस -
अधिकता श्रीबी.पी.त्रिपाठी दिनांक ०४-१०-०८ को उपस्थित हुए तथा
पुकरण की सम्पूर्ण कार्यवाहियों में भाग लिये ।

२ ब०- यह कि माननीय बिद्वान् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों

(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबत्ति आदेश प्रष्ठा

प्रकरण क्रमांक १/४५५३३/१५, रीवा

२०१८/न्यायालय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
०५/०१/१९	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>आराध्मा सेंगर</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुबिभागीय अधिकारी <u>हुमानी</u> के प्रकरण क्रमांक १७/३५-२७/१२-१३ में पारित आदेश दिनांक १६/०४/१५ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २२/५/१९ को कलेक्टर जिला <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	